झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

बीए नंबर 93/2020

कुणाल सिंह @ कुणाल कुमार सिंह ..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य ..... विपक्षी पार्टी

कोरमः माननीय न्यायाधीश श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिएः श्री विकास कुमार, अधिवक्ता

विपक्ष के लिएः सुश्री अनुराधा सहाय, एपीपी

04/29.01.2020 श्री विकास कुमार, याचिकाकर्ता के लिए विद्वत अधिवक्ता और सुश्री अनुराधा सहाय, राज्य के लिए विद्वान एपीपी को सुना।

याचिकाकर्ता को जीआर नंबर 357/2019 के अनुरूप एमजीएम पीएस केस नंबर 103/2018 के से उत्पन्न सत्र विचारण केस नंबर 171 के संबंध में आरोपी बनाया गया है।

यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता और अन्य , एक आपराधिक मामले में निपटान के बारे में चर्चा कर रहे थे। अग्रिम के रूप में रु 2,00,000/- का भुगतान किया गया था।

सह-अभियुक्तों में से एक अर्थात् छोटा बाबा ने याचिकाकर्ता और दीपक को सबूत देने और फिर शेष राशि के लिए आने के लिए कहा था।आरोप लगाया गया है कि छोटा बाबा और दीवाना ने सूचक और इम्तियाज पर गोली चलाई थी।कहा जाता है कि विशेष रूप से छोटा बाबा ने इम्तियाज के सिर पर गोली मारी थी।याचिकाकर्ता एमजीएम मानगो पीएस केस नंबर 72/2017 के एक गवाह प्रतीत होता है जिसमें सूचक का भाई भी एक आरोपी है।

यह प्रथम सूचना रिपोर्ट से प्रकट होता है और जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इम्तियाज पर गोली चलाने के लिए छोटा बाबा के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं।विचारण में, ऐसा प्रतीत होता है कि दस गवाहों की जांच अभी बाकी है।याचिकाकर्ता 31.01.2019 से हिरासत में है।

उपरोक्त के संबंध में, याचिकाकर्ता, जिसे ऊपर नामित किया गया है, को 10,000/- (दस हजार रुपये) के जमानत बांड प्रस्तुत करने पर और समान राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VI, जमशेदपुर की संतुष्टि पर , सत्र विचारण केस नंबर 171/2019 के संबंध में, जो जीआर नंबर 357/ 2019 तदनुसार एमजीएम पीएस केस नंबर 103/2018 से संबंधित है में इस शर्त ***के अधीन है कि याचिकाकर्ता मुकदमे की समाप्ति तक प्रत्येक तारीख को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगामें जमानत पर छोड़ने का निर्देश*** दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, जे.)

उमेश/-